न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/128

1. मोहनलाल आत्मज श्री केसरीलाल, जाति पाकड़, निवासी श्रीपुरा, तहसील पाटन, जिला बूंदी (राजस्थान) राज०

—अपीलान्ट

बनाम

1. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा केशोरायपाटन, जिला बूंदी (राजस्थान)
2. अतिरिक्त जनरल मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा रामपुरा, कोटा (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील के पाटन, जिला बूंदी (राजस्थान)

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महावीर गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री दीपक कुमार साहू, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट 01 की ओर से।

दिनांक: 03.02.2023

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन, जिला बूंदी द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.04.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा दिनांक 01.10.2014 को एक वाद पेश कर निवेदन किया गया कि कृषि भूमि खाता सं. 183 ख.सं. 915 रकबा 1.40 है0, ख.सं. 97 रकबा 0.01 है०, ख.सं. 928 रकबा 1.68 है०, कुल किता 3 कुल रकबा 3.09 है० वाके ग्राम माधोराजपुरा तहसील के० पाटन जिला बून्दी राज0 में स्थित है। उक्त कृषि भूमियां वादी अपीलान्ट के तन्हा मालिकाना एवं आधिपत्य की भूमि है, जिस पर वादी के अलावा अन्य किसी को भी रहन अथवा विक्रय करने का अधिकार नहीं है। उक्त कृषि भूमियां वादी अपीलान्ट के खाते की कृषि भूमियां है। बंशीलाल आ० रतनलाल जाति धाकड़ निवासी माधोराजपुरा से कागजों में हस्ताक्षर करवाकर बिना वादी अपीलान्ट की जानकारी के प्रतिवादी रेस्पो. संख्या 01 द्वारा भूमि का टाईटल का पुख्ता अन्वेषण किये बिना ही अवैध तरीके से दर्ज खातेदार को अवैध रूप से ऋण दे दिया। उक्त अवैध आदेश की अपील करने पर न्यायालय माननीय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के कोर्ट द्वारा उक्त आदेश को निरस्त कर पुनः वादी अपीलान्ट के नाम उक्त वर्णित भूमि में खातेदार दर्ज करने का आदेश होने पर वादी अपीलान्ट पुनः 24.12.2013 को जमाबंदी में खातेदार के रूप में दर्ज हो गया। वादी अपीलान्ट ने बैंक ऑफ बडोदा शाखा

केशोरायपाटन से कोई ऋण नहीं लिया न ही कोई वादी अपीलान्ट पर ऋण बकाया है ऐसी स्थिति में वादी अपीलान्ट के खाते में बिना ऋण लिये ही बैंक का रहन दर्ज होना न्याय संगत नहीं है। इस हेतु दिनांक 18.02.2014 को वादी अपीलान्ट ने प्रतिवादी रेस्पो. संख्या 1 व 2 को जरिये वकील लिगल नोटिस भी इस आशय का भेजा कि आपने गलत व्यक्ति को ऋण दे दिया और तुरन्त अपने ऋण की वसूली करें व खाते को रहन मुक्त करें जिसका भी प्रतिवादी रेस्पो. संख्या 1 व 2 द्वारा कोई जबाब नहीं दिया न ही खाते को रहन मुक्त किया। अतः वाद वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री पारीत की जाए कि वादग्रस्त आराजी से रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा केशोरायपाटन को हटाया जाए।

3. उक्त आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.04.2022 द्वारा वादी अपीलान्ट का वादपत्र खारिज कर दिया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 183/2014 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने अपनी अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का कथन किया।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

6. अपील में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि निर्णय व डिक्री जैर अपील न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बंशीलाल आत्मज श्री रतनलाल द्वारा पूर्व में एक वाद अधिकार, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केपाटन के समक्ष अपीलांट वादी के विरूद्ध पेश किया गया था, जिसमें एक तरफा आदेश पारित करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट का नाम विलोपित करते हुये बंशीलाल आत्मज श्री रतनलाल का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये थे, जिसके आधार पर बंशीलाल आत्मज श्री रतनलाल को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी द्वारा उक्त कृषि भूमि पर कृषि ऋण जारी कर दिया गया था। अपीलान्ट वादी द्वारा उक्त आदेश की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष करने पर न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को निरस्त कर पुनः वादी अपीलान्ट के नाम उक्त वर्णित कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार दर्ज करने के आदेश पारित किये गये, जिस पर वादी अपीलान्ट का नाम खातेदार के रूप में दर्ज हो गया। तब से ही एवं उक्त आदेश के पूर्व से ही उक्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट ही एकमात्र मालिक होकर काबिज काश्तकार चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि के टाईटल का पुख्ता अन्वेक्षण किये बिना ही अवैध तरीके से दर्ज खातेदारी पर ऋण जारी कर दिया गया, जिसका भुगतान बंशीलाल द्वारा नहीं किये जाने पर उक्त कृषि भूमि आज भी रहन दर्ज चली आ रही है जबकि वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पो० से कभी भी कोई ऋण प्राप्त नहीं किया और ना ही बकाया है। ऐसी स्थिति में वादी अपीलान्ट के खाते पर बिना ऋण लिये ही बैंक रहन दर्ज होना न्यायसंगत नहीं है। इस बाबत् दिनांक 18.02.2014 को वादी अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील एक लीगल नोटिस प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट को इस आशय का दिया गया कि

आपके द्वारा गलत व्यक्ति को ऋण जारी कर दिया गया है और तुरन्त अपने ऋण की वसूली करें एवं खाते को रहन मुक्त करें, जिसका भी प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट के द्वारा जवाब नहीं दिया गया और ना ही भूमि को रहन मुक्त किया। यहीं से वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादी अपीलान्ट का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, परंतु प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट के ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खिलाफ कानून आदेश पारित करते हुये वादी अपीलान्ट का वाद अस्वीकार कर खारिज किया गया जो गैर कानूनी है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन तथ्यों के आधार पर वाद खारिज फरमाया गया है। उक्त तथ्य वाद की विषयवस्तु ही नहीं है और वाद की विषयवस्तु से परे जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के तथ्यों व वादी की प्रार्थना–पत्र को नजरअंदाज करते हुये मात्र सरसरी तौर पर बिना वाद कारण को जाने उक्त वाद खारिज फरमाया गया जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाए तथा बंशीलाल को पक्षकार बनाया जाए।

7. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट द्वारा बंशीलाल को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गया। आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के कारण वाद वादी पोषनीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2022 बहाल रखा जावे।

8. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल नोटिस प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 प्रदर्श–2 संलग्न है। जिसके अनुसार ग्राम माधोराजपूरा की आराजी कुल किता की 3.09 हेक्टेर बंशीलाल आत्मज रतनलाल के खातेदारी में दर्ज है। जिस पर इंतकाल संख्या 761 दिनांक 24.12.2013 जर्ये निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से संपूर्ण खाता मोहनलाल आत्मज केसरीलाल के खातेदार रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा केशोरायपाटन होने का नोट अंकित है। इसी प्रकार नकम जमाबंदी संवत् 2069–72 प्रदर्श 03 संलग्न है। वादी अपीलान्ट की ओर से पी.डब्ल्यू–1 मोहनलाल, पी.डब्ल्यू–2 जानकीलाल, पी.डब्ल्यू–3 किशनलाल, पी.डब्ल्यू–4 रासबिहारी के शपथ पत्र पेश किये है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.04.2022 मे बंशीलाल को पक्षकार ही नहीं बनाया। वाद/अपील असंयोजन के ग्रसित है। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत है कि प्रकरण मे जिस तरह से वाद प्रस्तुत किया गया है, उसमे बंशीलाल आवश्यक पक्षकार है। वादी अपीलांट ने बंशीलाल को पक्षकार क्यों नहीं बनाया ? इससे प्रतीत होता है कि वादी अपीलांट जानबूझकर स्पष्टता से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हुए। वादी अपीलांट को बंशीलाल को पक्षकार बनाकर समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए न्यायालय मे प्रकरण प्रस्तुत करना चाहिए था। बंशीलाल द्वारा कब ऋण लिया गया ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी अपीलांट को अपना वाद स्वयं सिद्ध करना होता है। परंतु वादी अपीलांट स्वयं के द्वारा कथन किए गए बिन्दुओं को साबित करने मे असफल रहे। अधीनस्थ न्यायालय ने मुख्यतः निर्णय हेतु तीन प्रश्न विरचित किए– • आया कि वाद वर्णित कृषि भूमि के संबंध मे वाद वर्णित तथ्यों के अनुसार वाद वर्णित भूमि निर्णय

डिक्री 19.01.2009 के पूर्व वादी की खातेदारी मे थी?• आया कि वाद वर्णित तथ्यों के अनुसार बंशीलाल आ0 रतनलाल जाति धाकड़ निवासी माधोराजपुरा ने वादी की जानकारी के बगैर प्रतिवादी संख्या 1 से ऋण प्राप्त किया है?• आया कि वाद वर्णित तथ्यों के अनुसार बंशीलाल के द्वारा ऋण प्राप्त करने के कारण वादी के द्वारा यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है? उपर्युक्त तीनो महत्वपूर्ण प्रश्नों/बिन्दुओ को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/दस्तावेजों के आधार पर विवेचित कर निष्कर्ष पारित किया है। हम तीनो प्रश्नों/बिन्दुओ पर पारित निष्कर्ष से सहमत है, इन्हे दोहराने की आवश्यता नहीं है। अतः प्रकरण मे और विवेचन विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। वादी अपीलांट अपने कथनों को साबित करने मे असफल रहे है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन, जिला बूंदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2022 बहाल रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2022/128

1. मोहनलाल आत्मज श्री केसरीलाल, जाति पाकड़, निवासी श्रीपुरा, तहसील के0 पाटन, जिला बूंदी (राजस्थान) राज०

——अपीलान्ट

बनाम

1. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा केशोरायपाटन, जिला बूंदी (राजस्थान)
2. अतिरिक्त जनरल मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा रामपुरा, कोटा (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील के पाटन, जिला बूंदी (राजस्थान)

——रेस्पोडेन्ट

वाद संख्याः 183/2014

1. मोहनलाल आत्मज श्री केसरीलाल, जाति पाकड़, निवासी श्रीपुरा, तहसील के0 पाटन, जिला बूंदी (राजस्थान) राज०

– वादी

बनाम

1. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा केशोरायपाटन, जिला बूंदी (राजस्थान)
2. अतिरिक्त जनरल मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा रामपुरा, कोटा (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील के0 पाटन, जिला बूंदी (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 183/2014 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2022 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 03.02.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री महावीर गुप्ता, एवं रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से श्री दीपक कुमार साहू के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 183/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2022 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 03.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा